(496)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक :– प.3(820)नविवि/03/07

दिनांक 16.01.2009

परिपत्र

वित्त(कर) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(19)एफडी/टैक्स/2007–16 दिनांक 02.06.08 द्वारा दिनांक 31.12.2000 तक अपंजीकृत दस्तावेजों द्वारा हस्तांतरित सम्पत्तियों की लीज डीड/विक्रय दस्तावेजों का पंजीयन दिनांक 31.03.09 तक करवाने पर प्रत्येक मध्यवर्ती अपंजीकृत दस्तावेज से हस्तांतरित भूमि के संबंध में प्रत्येक ऐसे हस्तांतरण पर रूपये 25/– प्रति वर्गगज की दर से स्टाम्प ड्यूटी वसूल करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं द्वारा विक्रय की गई सम्पत्तियों की लीज डीड निष्पादित करने की स्थिति में उक्त अधिसूचना दिनांक 02.06.08 की पालना सुनिश्चित करने हेतु इस विभाग द्वारा दिनांक 07.06.08 को निर्देश प्रदान किये गये थे।

अब वित्त विभाग द्वारा अ.शा. टीप क्रमांक प.3(6)कर/राजस्व/08 दिनांक 06.01.09 द्वारा अनुरोध किया गया है कि उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 02.06.08 की पालना दिनांक 28.02.2009 तक अभियान चलाया जाकर सुनिश्चित की जावें जिससे अधिक से अधिक लोगों को छूट का लाभ प्राप्त हो सकें तथा राजस्व आय अर्जित की जा सके।

अतः वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.06.08 की पालना सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 28.02.2009 तक आवश्यक रूप से अभियान चलाया जाकर अधिक से अधिक लीज डीड/विक्रय पत्र पंजीकृत कराने की कार्यवाही जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, समस्त नगर सुधार न्यासों के स्तर पर सुनिश्चित की जावें।

उक्त अभियान दिनांक 28.02.2009 तक आयोजित किया जाकर निष्पादित प्रकरणों की संख्या से इस विभाग को अवगत कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।

ह0
(डी.बी. गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव